फेस्टो (Festo) समूह कंपनियों के लिए आचार संहिता

परिचय

फेस्टो (Festo) समूह एक लंबी चली आ रही परंपरा और अपने व्यापार भागीदारों और कर्मचारियों के बीच एक उच्च प्रतिष्ठा वाली एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय परिवार के स्वामित्व वाली कंपनी है। फेस्टो (Festo) समूह ईमानदारी पर जोर देता है और नैतिकता और कानूनी अनुपालन के संबंध में इसका एक उच्च मानक है। इस आचार संहिता के साथ, हम दुनिया भर में काम कर रहे अपने कर्मचारियों सहित अपने वाणिज्यिक और सामाजिक पर्यावरण के प्रति अपने उत्तरदायित्व को स्वीकार करते हैं।

1. उद्देश्य, अनुप्रयोग का विस्तार (स्कोप)

यह आचार संहिता प्रबंधन के सभी सदस्यों और कर्मचारियों को यह दर्शाने के आशय से है कि नैतिक और कानूनी कार्रवाईयों और अखंडता की कार्रवाईयों के सन्दर्भ में फेस्टो (Festo) समूह के उच्च मानकों को पूरा करने के लिए उन्हें कौन से नैतिक और कानूनी आचरण का अनुपालन करना है। साथ ही साथ, यह आचार संहिता, कर्मचारियों और किसी भी तीसरे पक्ष दोनों को यह दिखाने के आशय से है, कि फेस्टो (Festo) समूह की सर्वोच्च प्राथमिकता अपने व्यापार को सदैव एक न्यायोचित एवं नैतिक तरीके से और ईमानदारी के साथ संभालना है।

कॉर्पोरेट प्रबंधन के सदस्य और सभी कर्मचारी फेस्टो (Festo) समूह के हित में कार्य कर रहे हैं यदि वे लागू कानून का अनुपालन और कानूनी नियमों और दायित्वों का सम्मान करते हैं चाहे वे आर्थिक रूप से प्रतिकूल अथवा किसी व्यक्ति या कंपनी के दृष्टिकोण से असमयोचित प्रतीत हो सकते हों अथवा प्रबंधन के निर्देशों के प्रतिकूल हो सकते हों।

यह आचार संहिता सभी फेस्टो (Festo) समूह अवस्थितियों पर लागू होती है। यदि स्थानीय कानून के तहत नियम आचार संहिता में प्रदान किए गए से अधिक कठोर हैं तो कठोर स्थानीय नियमों का अवश्य पालन किया जाना चाहिए।

यह आचार संहिता उन सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों का सार प्रस्तुत करती है जिसके प्रति कॉर्पोरेट प्रबंधन, व्यक्तिगत अधिकारी और फेस्टो (Festo) समूह के समस्त कर्मचारी प्रतिबद्ध होंगे। आचार संहिता किसी तीसरे पक्ष का कोई अधिकार सृजन नहीं करेगी। फेस्टो (Festo) समूह को अपनी छवि को बढ़ावा देने में सक्षम करने के लिए और हमारी कंपनियों की दीर्घकालिक सफलता की सुरक्षा हेतु योगदान करने के लिए इस आचार संहिता का अनुपालन आदेशात्मक है।

इस आचार संहिता का उल्लंघन करना, अथवा दूसरों से उल्लंघन करवाना, सहन नहीं किया जाएगा और इसका परिणाम - कानून या न्यायता में उपलब्ध किन्हीं भी अन्य उपचारों के अलावा - अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकता है।

2. अनुपालन अधिकारी

फेस्टो (Festo) समूह के प्रबंधन बोर्ड ने, पर्यवेक्षी बोर्ड की सम्मति के साथ, अनुपालन अधिकारी नियुक्त किया है जो सीधे प्रबंधन बोर्ड को रिपोर्ट करता है।

अनुपालन अधिकारी के उत्तरदायित्वों में, इस आचार संहिता के कार्यान्वयन और प्रवर्तन की निगरानी करना, फेस्टो (Festo) समूह के भीतर अलग-अलग कंपनियों को इस आचार संहिता के उनके कार्यान्वयन में सहायता करना, इस आचार संहिता के अनुरूप दिशा निर्देशों के प्रारूपण और संशोधन में भाग लेना, और इस आचार संहिता के कार्यान्वयन और प्रवर्तन से संबंधित सभी प्रश्नों के लिए संपर्क व्यक्ति होना, शामिल हैं। समूह आंतरिक लेखा-परीक्षा भी अपने लेखा-परीक्षणों के दौरान इस आचार संहिता का अनुपालन सुनिश्चित करेगा और पहचान किए गए किसी भी उल्लंघन की अनुपालन अधिकारी को रिपोर्ट करेगा।

3. व्यापार वातावरण में व्यवहार

3.1 कानूनों, आंतरिक नियमों और विनियमों का अनुपालन

लागू कानूनों, नियमों और विनियमों, न्यूनतम औद्योगिक मानकों, संयुक्त राष्ट्र सम्मेलनों और अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ), सभी आंतरिक नियमों और विनियमों, और अन्य सभी प्रासंगिक नियम (इसमें इसके पश्चात् „नियमों“) का समस्त फेस्टो (Festo) समूह अवस्थितियों पर अवश्य पालन किया जाना चाहिए।

नियमों का कोई भी ज्ञात उल्लंघन तुरंत अनुपालन अधिकारी को अवश्य सूचित किया जाना चाहिए।

3.2 न्यायसंगत प्रतिस्पर्द्धा

फेस्टो (Festo) समूह निष्पक्ष प्रतिस्पर्द्धा के नियमों का अनुसरण करता है और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर एक मुक्त बाजार और खुली प्रतिस्पर्द्धा को लागू करने के सभी प्रयासों का समर्थन करता है। सभी व्यावसायिक गतिविधियाँ उत्तरदायी तथा नैतिक सिद्धांतों और कार्यों पर आधारित होंगी, और नियमों के सुसंगत अवश्य होनी चाहिए। इसलिए फेस्टो (Festo) समूह की कंपनियाँ किसी भी आदेश या अन्य लाभ को अस्वीकार करेंगी जो केवल लागू नियमों का उल्लंघन करके प्राप्त किया जा सकता है।

3.2.1 प्रतिस्पर्धा-विरोधी समझौते और व्यवस्थाएँ

न तो प्रबंधन और न ही कर्मचारी प्रतिस्पर्धियों के साथ कीमतों या क्षमताओं को तय करने के लिए समन्वय या अन्यथा करने के उद्देश्य से कोई भी विचार-विमर्श करेंगे। इसके अलावा, फेस्टो (Festo) समूह की कंपनियाँ (क) किसी प्रतिस्पर्धी के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करने, (ख) किसी भी आपूर्तिकर्ता या ग्राहक का बहिष्कार करने, (ग) फर्जी बोली प्रस्तुत करने, (घ) ग्राहकों, क्षेत्रों (टेरिटरीज), या उत्पादन कार्यक्रमों को विभाजित करने, या (ङ) ऐसी किसी भी कार्रवाई को करने जो किसी उद्योग को एकाधिकार करने या अन्यथा अवैध होने के रूप में देखी या अर्थ लगाई जा सकती है, के लिए किसी भी ऐसे समझौतों, सहमतियों, अथवा किसी भी प्रकार की व्यवस्थाओं को नहीं करें। इन निषेधों में बिना सीमा के, अनौपचारिक चर्चा, अनौपचारिक „सज्जनों के समझौते (जेंटलमेन्स एग्रीमेंट्स)“, या „संगठित कार्रवाई (कन्सर्टेड एक्शन्स)“ जिसका लक्ष्य या परिणाम ऊपर बताई गई किसी भी प्रतिस्पर्द्धा का प्रतिबंध लगाना हो, भी शामिल हैं।

3.2.2 घूसखोरी

फेस्टो (Festo) समूह अपने उत्पादों, अपनी अभिनव शक्ति, अपने संबंधों की ईमानदारी और अपने कर्मचारियों की क्षमता की गुणवत्ता के प्रति आश्वस्त है। इसलिए, व्यापार भागीदारों, अथवा उनके कर्मचारियों या प्रतिनिधियों, सार्वजनिक अधिकारियों, राजनेताओं, या अन्य तृतीय पक्षों को घूस देना, कठोरता से वर्जित है। फेस्टो (Festo) समूह के कॉर्पोरेट प्रबंधन और कर्मचारियों द्वारा माल या सेवाओं को खरीदते समय अधिमान्य व्यवहार के बदले में व्यापार भागीदारों, उनके कर्मचारियों या प्रतिनिधियों, सार्वजनिक अधिकारियों, राजनेताओं, या अन्य तृतीय पक्षों को लाभ की पेशकश करना, वादा करना, या प्रदान करना निषेध है।

इसके अलावा, यदि फेस्टो (Festo) समूह के कॉर्पोरेट प्रबंधन और कर्मचारियों को किसी वितरक या विक्रेता से (प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से) किसी भुगतान या अन्य लाभ की पेशकश की जाती है जो आचार संहिता के प्रतिकूल हो तो तुरंत अनुपालन अधिकारी से अवश्य संपर्क किया जाना चाहिए।

3.2.3 भुगतान

जब तक कानूनी तौर पर वैध और अनुमेय हस्तांतरण समझौते या आदेशात्मक मोचन न हों, तब तक फेस्टो (Festo) समूह की कंपनियों द्वारा माल या सेवाओं की सुपुर्दगी के लिए भुगतान केवल सीधे संबंधित संविदा साझेदार को तथा संविदा साझेदार के व्यवसाय के मुख्य स्थान के देश में किया जाएगा। नकद भुगतान निषिद्ध हैं। पूर्ववर्ती वाक्य के होते हुए भी, नगण्य राशियों की अनुमति है, बशर्ते कि ऐसी राशियों के लिए एक उचित प्रकार से हस्ताक्षरित रसीद प्रदान की जाती है। अन्य सभी मामलों में, इस सिद्धांत से विचलन करने वाले सभी भुगतानों और / अथवा भुगतान समझौतों के बारे में, अनुपालन अधिकारी को, यदि संभव हो तो अग्रिम रूप से, अविलम्ब सूचित किया जाएगा ।

3.2.4 वाणिज्यिक प्रोत्साहन

निष्पादन-आधारित कमीशन, बोनस [इन निहित-लिखित (कन्टेन्ड-रटिन) पूलिंग समझौतों सहित], छूट, निःशुल्क उपलब्ध कराए गए माल और सेवाएँ, और इसी जैसे अन्य ठोस वाणिज्यिक प्रोत्साहन हैं। ये प्रोत्साहन केवल लागू नियमों के अनुपालन में ही प्रदान अथवा स्वीकार किए जा सकते हैं। ऐसे वाणिज्यिक प्रोत्साहनों को देना या स्वीकार करना हमेशा नैतिक, कानूनी तौर पर अनुमत और सामाजिक दृष्टि से उचित होना चाहिए और विस्तार में प्रलेखित किए जाएँगे। अन्यथा, ऐसे प्रोत्साहनों को तुरंत अस्वीकृत कर दिया और / अथवा लौटा दिया जाएगा। तीसरे पक्षों विशेष रूप से सेल्सपर्सन्स, अचल संपत्ति एजेंटों, परामर्शदाताओं या अन्य बिचौलियों को, पारिश्रमिक का, विशेष रूप से कमीशनों के रूप में, किया गया भुगतान निष्पादित किए गए काम के अनुरूप अवश्य होना चाहिए और दी गई सेवाओं के प्रयोजनों और नियत तिथि के उचित विवरण सहित लिखित रूप में पूर्णतः प्रलेखित किया जाएगा।

3.2.5 लाभों की पेशकश करना और प्रदान करना

फेस्टो (Festo) समूह के कॉर्पोरेट प्रबंधन और कर्मचारियों को कठोरता से लागू कानून के अनुसार, ईमानदारी के साथ, और नैतिकता की दृष्टि से, कार्य करना आवश्यक है। इस सिद्धांत के अनुरूप, उपहार, भेंट, निमंत्रण और इसी प्रकार के लाभ केवल तभी पेश किए जा सकते हैं यदि न तो मूल्य या व्यापार संदर्भ, और न ही अन्य कारण प्राप्तकर्ता की स्वतंत्रता पर प्रश्न पैदा करते हों अथवा प्राप्तकर्ता को यह धारणा देते हों कि उसे ऐसे लाभों के अस्तित्व को छिपाना पड़ेगा या वह अनुचित रूप से प्रभावित होगा/होगी।

सामान्यतः स्वीकृत और प्रथागत व्यापार चलन से अधिक बढ़े हुए निमंत्रण, उपहार या अन्य लाभ प्रदान करना निषिद्ध है। नकद उपहार हमेशा निषिद्ध हैं।

कार्यक्रमों या गतिविधियों के लिए निमंत्रण या तो प्रथागत व्यापार चलन और अभिप्राय (स्कोप) और प्रकार में उपयुक्त अवश्य हों या उनका एक स्पष्ट व्यापार उद्देश्य हो। धर्मार्थ कार्यक्रमों में निमंत्रण या किसी धर्मार्थ प्रयोजन के लिए दान की केवल तभी अनुमति है यदि वे इस अनुभाग 3.2.5 के प्रथम अनुच्छेद में उल्लिखित सिद्धांतों सहित आचार संहिता का अनुपालन करते हैं।

संघीय, राज्य या स्थानीय अधिकारियों या कर्मचारियों को कोई निमंत्रण अथवा लाभ नहीं दिया जा सकता है। वैध व्यावसायिक प्रयोजनों के लिए भोजन और मनोरंजन व्यय परिस्थितियों के अंतर्गत उपयुक्त और आकार में उचित अवश्य होना चाहिए।

फेस्टो (Festo) समूह के स्वामित्व वाले (ब्लिप, गुब्बारे) विमान के साथ किसी दौरे के लिए व्यापारिक भागीदारों के साथ कार्यक्रमों में निमंत्रण की अनुमति है, बशर्ते कि ऐसे कार्यक्रम का अभिप्राय (स्कोप), रूप और सीमा उचित हों।

3.2.6 लाभों का अनुरोध करना और स्वीकार करना

फेस्टो (Festo) समूह के कॉर्पोरेट प्रबंधन के सदस्य और कर्मचारियों को कानूनी रूप से, नैतिक दृष्टि से तथा ईमानदारी के साथ काम करना आवश्यक है। इस आदेशात्मक आवश्यकता का अर्थ है: कॉर्पोरेट प्रबंधन का कोई भी सदस्य या फेस्टो (Festo) समूह की कम्पनी का कोई भी कर्मचारी अपनी स्थिति या कार्य का उपयोग व्यक्तिगत लाभ (अमूर्त लाभ सहित) के लिए अनुरोध, स्वीकार, या उपयोग करने हेतु नहीं करेगा/करेगी। हालांकि, यदा-कदा ग्राहक कार्यक्रमों के निमंत्रण या भोजन (अनुभाग 3.2.5 में उल्लिखित मानदंड को पूरा करने वाले) या नगण्य मूल्य के अन्य प्रतीकात्मक उपहारों को स्वीकार करने की अनुमति है जब तक कि प्राप्तकर्ता किसी ऐसे तरीके से बँध न सकता हो जो उसकी स्वतंत्रता पर प्रश्न चिह्न लगाता हो। सामान्य और प्रथागत उपहार मामूली मूल्य वाले और प्रतीकात्मक चरित्र के यदा-कदा उपहार होते हैं।

निमंत्रण को स्वीकार करते समय, कार्यक्रम का स्पष्ट रूप से कोई व्यापारिक उद्देश्य अवश्य होना चाहिए, और व्यापार-के-लिए-संकेत किए गए भोजन और मनोरंजन व्यय प्रकार और अभिप्राय (स्कोप) के संदर्भ में उचित होने चाहिए। कोई कर्मचारी किसी व्यापार साझेदार से किसी धर्मार्थ कार्यक्रम में निमंत्रण या किसी धर्मार्थ प्रयोजन के लिए किसी दान देने को केवल तभी स्वीकार करेगा यदि इस तरह का निमंत्रण या दान इस आचार संहिता, विशेषरूप से अनुभाग 3.2.5 के प्रथम अनुच्छेद के सिद्धांतों, का अनुपालन करता हो।

नकद उपहार की स्वीकृति की कभी भी अनुमति नहीं है। किसी कॉर्पोरेट प्रबंधन के सदस्य या किसी कर्मचारी को इस आचार संहिता में बताई गई सीमाओं से अधिक कोई उपहार, लाभ, या उसके स्वयं अथवा किसी सम्बन्धित व्यक्ति को लाभप्रद शर्तें, प्रस्ताव किए जाने के मामले में, ऐसे उपहार या लाभों को सिद्धांत के मामले की तरह अवश्य अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए। ऐसे प्रस्तावों को तुरंत अनुपालन अधिकारी को अवश्य सूचित किया जाना चाहिए।

3.2.7 दान और प्रायोजित करना

दान और कॉर्पोरेट प्रायोजन हमेशा अवश्य पारदर्शी होने चाहिए, अर्थात्, दान या प्रायोजन का प्राप्तकर्ता, और प्राप्तकर्ता द्वारा विशिष्ट उपयोग अवश्य ज्ञात और पता लगाने योग्य होना चाहिए। कोई भी प्रायोजन सहमत प्रतिफल के संबंध में उचित होना चाहिए।

3.3 स्थिरता और पर्यावरणीय प्रभाव

फेस्टो (Festo) समूह पर्यावरण को हानि पहुँचाए बिना प्राकृतिक पदार्थों और ऊर्जा का उपयोग करने (सस्टेनेबिलिटी) और पर्यावरण अनुकूलता के सिद्धांतों का पालन करता है। फेस्टो (Festo) समूह संसाधनों की दुर्लभता और भविष्य की पीढ़ियों के प्रति अपने उत्तरदायित्व के बारे में सचेत है। दुनियाभर में फेस्टो

समूह की कम्पनियों के लिए सभी लागू पर्यावरण कानूनों, नियमों और विनियमों का अनुपालन कॉर्पोरेट प्रबंधन और फेस्टो समूह के प्रत्येक कर्मचारी का एक स्वतः-साक्ष्य दायित्व है।

3.4 सहिष्णुता और समान अवसर

एक विश्व स्तर पर सक्रिय कंपनी के रूप में, फेस्टो (Festo) समूह विभिन्न देशों, संस्कृतियों और विश्वासों के कर्मचारियों और व्यापार साझेदारों के साथ काम करता है। हमारी पारस्परिक-क्रिया (इन्टरएक्शन) सहिष्णुता, सम्मान, और खुलेपन द्वारा अभिलक्षणित है।

किसी कर्मचारी या व्यापार साझेदार के विरुद्ध लिंग, नस्ल, राष्ट्रीय मूल, विकलांगता, जाति, धर्म, मान्यताओं, राजनीतिक दृष्टिकोणों, यौन अभिविन्यास, आयु या अन्य कानूनी तौर पर संरक्षित अभिलक्षणों के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव, उत्पीड़न, अथवा अपमान निषिद्ध है और अनुशासनात्मक कार्रवाई के अधीन है। कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न या किसी अन्य प्रकार का उत्पीड़न निषिद्ध है, भले ही लक्ष्य उत्पीड़न से बचने में सक्षम था या चाहे अपराध-कर्ता अपने व्यवहार को स्वीकार्य मानता/मानती हो।

प्रबंधन के सदस्यों को अनुकरणीय व्यक्तियों (रोल मॉडल) के रूप में कार्य करना और भेदभाव और उत्पीड़न से मुक्त एक कार्य वातावरण प्रदान करना आवश्यक हैं।

3.5 रिपोर्ट करना और प्रलेखन

कोई भी और सभी कार्यवृत्त (मिनिट) और रिपोर्ट, विशेषरूप से वे जो तीसरे पक्ष के आशय से हैं सही और सत्य होंगी। डेटा इनपुट और रिकॉर्डिंग हमेशा पूरा, सही, समय पर, सभी आवश्यक प्रणालियों के अनुकूल और उत्पन्न-कर्ता या लेखक तथा सृजन की तिथि की पहचान कराने वाला अवश्य होना चाहिए।

फेस्टो (Festo) समूह की ओर से की गई समस्त मौखिक और लिखित संविदाओं और अनुबंधों सहित सभी व्यापारिक लेनदेनों को लागू कानूनों और फेस्टो समूह की आंतरिक आवश्यकताओं के अनुसार प्रलेखित और दायर (फाइल) किया जाएगा।

3.6 व्यापार साझेदारों का चयन करना

फेस्टो (Festo) समूह इसके आपूर्तिकर्ताओं द्वारा किए गए सभी प्रस्तावों की एक उचित और निष्पक्ष ढंग से जाँच करता है। एक सिद्धांत के मामले के रूप में, आपूर्तिकर्ताओं की कोई अवस्तुनिष्ठ (अनऑब्जेक्टिव) प्राथमिकता या व्यवधान, विशेष रूप से व्यक्तिगत कारणों से, निषिद्ध है। यदि किसी परियोजना के लिए निविदा बोली आमंत्रित की जाती है, तो सर्वाधिक लागत-प्रभावी प्रस्ताव की बोली लगाने वाले को संविदा प्रदान की जाएगी, जब तक कि अन्य कारण किसी भिन्न निर्णय को न्यायसंगत न बनाते हों (बिना सीमा के, गुणवत्ता, सेवा, लंबे समय से व्यापार संबंधों, ऋण-पात्रता, आदि सहित)। इन मामलों में, इस तरह के निर्णय का परिणाम देने वाली चर्चाओं और विचारों को अवश्य प्रलेखित किया जाना चाहिए और ऐसे निर्णय इस प्रकार से लिए जाने चाहिए ताकि तृतीय पक्ष ऐसे निर्णयों पर आधारित दावा करने में सक्षम न बने।

फेस्टो (Festo) समूह अपने आपूर्तिकर्ताओं, ग्राहकों, और अन्य सभी व्यापार साझेदारों से उनकी कम्पनियों में, इस आचार संहिता में व्यक्त मानों का सम्मान करने, और क्रियान्वित करने की अपेक्षा रखता है। यदि चेतावनी के बावजूद, इस आचार संहिता में उल्लिखित सिद्धांतों और निषेधों का तात्विक उल्लंघन विद्यमान रहता है और विद्यमान रहना जारी रहता है, विशेष रूप से रिश्वत, अनुचित लाभ प्रदान करने, या जबरन या बाल श्रम की घटना में, तो फेस्टो (Festo) समूह दीर्घावधि आपूर्तिकर्ता सम्बन्ध को समय-पूर्व समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

3.7 सूचना की गोपनीयता और डेटा संरक्षण

फेस्टो (Festo) समूह और इसके व्यापार भागीदारों से सम्बन्धित समस्त जानकारी गोपनीय है और तीसरे पक्ष को उपलब्ध नहीं की जा सकती है, जब तक कि यह जानकारी पहले से ही सार्वजनिक प्रक्षेत्र में न हो अथवा वैध तरीकों से सार्वजनिक रूप से उपलब्ध न कराई गई हो। सरकारी या नियामक अधिकारियों के अनुरोध पर या फेस्टो (Festo) समूह के व्यावसायिक हितों को पूरा करने की रूपरेखा के भीतर सूचना के प्रकटीकरण की अनुमति है। गोपनीयता का यह कर्तव्य रोजगार की समाप्ति के बाद भी अस्तित्व में रहता है।

निजी प्रयोजनों के लिए गोपनीय जानकारी का प्रत्यक्ष या परोक्ष उपयोग करना कठोरता से वर्जित है। कॉर्पोरेट प्रबंधन के सभी सदस्यों और सभी कर्मचारियों को कंपनी के आंतरिक दिशा निर्देशों के अनुसार गोपनीय जानकारी की अनाधिकृत पहुँच के विरुद्ध सक्रिय रूप से सुरक्षा करनी आवश्यक है।

निजी डेटा की गोपनीयता और व्यापार जानकारी की सुरक्षा को जैसा लागू कानून द्वारा आवश्यक है सभी व्यापार संचालनों में संरक्षित किया जाना चाहिए। सभी गोपनीय जानकारियों, सरकारी दस्तावेजों और डेटा भंडारण माध्यमों, को सिद्धांत के मामले के रूप में, तीसरे पक्षों द्वारा पहुँच के विरुद्ध संरक्षित किया जाएगा। इस डेटा तक अनधिकृत पहुँच के विरुद्ध तकनीकी सुरक्षा उपायों को अनुरक्षित करने के लिए उच्चतम व्यावसायिक मानकों और गुणवत्ता को लागू किया जाएगा।

4. सहकर्मियों के प्रति व्यवहार

4.1 प्रबंधन संस्कृति

कॉर्पोरेट प्रबंधन का प्रत्येक सदस्य उसे सौंपे गए कर्मचारियों के लिए उत्तरदायी है। कॉर्पोरेट प्रबंधन के सदस्य अनुकरणीय व्यक्तिगत व्यवहार, निष्पादन, खुलापन और सामाजिक सामर्थ्य के माध्यम से कर्मचारियों का सम्मान अर्जित करेंगे।

फेस्टो (Festo) समूह अपने कर्मियों को अपनी सबसे महत्वपूर्ण पूंजी समझता है। तदनुसार, यह अपने कर्मियों की योग्यता और विशेषज्ञता में निवेश करता है, और समर्पण और निष्पादन को प्रोत्साहित और पुरस्कृत किया जाता है।

4.2 निष्पक्ष और सुरक्षित कार्य स्थितियाँ

फेस्टो (Festo) समूह सभी देशों में कर्मचारियों को काम की निष्पक्ष स्थितियाँ प्रदान करता है जो सभी लागू कानूनी आवश्यकताओं का अनुपालन करती हैं। यह किसी भी प्रकार के जबरन या बाल श्रम की निंदा करता है।

सभी कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा की रक्षा करना फेस्टो (Festo) समूह के लिए सर्वोपरि महत्व का एक

सद्धिांत है। फेस्टो (Festo) समूह, इसलिए, कंपनी के सभी डिवीजनों में, विशेष रूप से उत्पादों के डिजाइन और कार्यस्थल को सुरक्षित रखने में, गुणवत्ता का एक निरन्तर उच्च मानक सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रक्रियाओं, प्रणालियों और परिचालन करने वाले (ऑपरेटिंग) संसाधनों को लागू कानूनों और आंतरिक स्वास्थ्य और सुरक्षा विनियिमों का, और साथ ही अग्नि और पर्यावरण कानूनों, नियिमों और विनियिमों का अनुपालन अवश्य करना चाहिए।

4.3 हित के संघर्षों से बचना

फेस्टो (Festo) समूह यह सुनिश्चित करने के लिए समर्पित है कि इसके कॉर्पोरेट प्रबंधन के सदस्य और कर्मचारी अपनी व्यावसायिक गतिविधियों के दौरान हितों और निष्ठा के संघर्ष का विषय नहीं बनें।

संघर्ष, उदाहरण के लिए, हो सकते है: (i) एक हाथ पर फेस्टो (Festo) समूह की कंपनियों, और दूसरे हाथ पर कॉर्पोरेट प्रबंधन के सदस्यों या कर्मचारियों या उनके संबंधित पक्षों के बीच व्यापार या अन्य लेनदेन के मामले में; (ii) यदि कॉर्पोरेट प्रबंधन का कोई सदस्य या कोई कर्मचारी एक अन्य कम्पनी के लिए काम करता है, अथवा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, एक अन्य कंपनी में इक्विटी धारण करता है; या (iii) यदि प्रतिस्पिर्धियों या फेस्टो (Festo) समूह के व्यापार साझीदारों के साथ व्यापार संबंधों से व्यक्तिगत लाभ प्राप्त किए जाते हैं।

कॉर्पोरेट प्रबंधन के सदस्य और कर्मचारी किसी भी व्यापार संबंध को बनाए नहीं रख सकते हैं यदि उनसे फेस्टो (Festo) समूह की ओर से उनके व्यापार निर्णयों या लेनदेनों को प्रभावित करने की यथोचित रूप से अपेक्षा की जा सकती हैं।

इसलिए, इस प्रकार के व्यापार संबंध केवल अनुपालन अधिकारी की पूर्व लिखित स्वीकृति के साथ ही अनुमत किए जाते हैं।

5. इस आचार संहिता का कार्यान्वयन

कॉर्पोरेट प्रबंधन का प्रत्येक सदस्य इस आचार संहिता की अन्तर्वस्तु और महत्व के बारे में अपने कर्मचारियों को सूचित करेगा/करेगी। उसे अवश्य सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसे कर्मचारी इस आचार संहिता को समझते हैं, अनुपालन की निगरानी करनी चाहिए, और इस आचार संहिता का अनुपालन करने के उनके प्रयासों में उन्हें सहयोग करना चाहिए। लागू कानून के अनुपालन की अवश्य निगरानी की जानी चाहिए और समीक्षा में स्पष्ट किया जाना चाहिए। यदि लागू कानून के उल्लंघन के कोई संकेत हों, तो कॉर्पोरेट प्रबंधन के सदस्य ऐसे संभावित उल्लंघन की यत्नपूर्वक जाँच करेंगे और अनुपालन अधिकारी को सूचित करेंगे।

फेस्टो (Festo) समूह लागू कानून और इस आचार संहिता के संभावित उल्लंघन से बचने में सहायता करने के लिए अपने कर्मचारियों को यथोचित जानकारी प्रदान करेगा। इसमें बिना सीमा के, विशिष्ट विषयों और जोखिम वाले क्षेत्रों पर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, शामिल है। यदि संदेह में हों, तो कॉर्पोरेट प्रबंधन और कर्मचारियों को स्वतंत्र रूप से निश्चय करना आवश्यक है कि उनके कार्य कानूनी तौर पर तथा नैतिकता की दृष्टि से सही हैं। इस संबंध में किसी भी प्रश्न के लिए अनुपालन अधिकारी उपलब्ध है।

फेस्टो (Festo) समूह के सभी कर्मचारी, किसी भी उल्लंघन को रिपोर्ट करने के बारे में, जो गुमनाम रूप से की जा सकती है किन्तु इसी तक सीमित नहीं, सहित इस आचार संहिता की अन्तर्वस्तु या व्याख्या के सम्बन्ध में किसी भी प्रश्न के साथ अपने उच्चतर या अनुपालन अधिकारी से सम्पर्क कर सकते हैं। इस आचार संहिता से संबंधित पूछताछ और इससे सम्बन्धित किसी भी उल्लघन को रिपोर्ट करने के लिए एक हॉटलाइन स्थापित की गई है। सम्पर्क विवरणों को इंटरनेट पर पाया जा सकता है।

यदि कोई कर्मचारी अपने उच्चतर या अनुपालन अधिकारी को इस आचार संहिता का कोई उल्लंघन अधिसूचित करता/करती है, तो ऐसी अधिसूचना को अत्यंत गोपनीयता के साथ संभाला (हैंडल किया) जाएगा, और परिणामस्वरूप ऐसे उल्लंघन को रिपोर्ट करने वाले व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं होगा। फेस्टो (Festo) समूह की ओर से किसी अवैध कार्यों के मामले में तीसरे पक्षों के लिए भी हॉटलाइन उपलब्ध है।

Esslingen,19. March 2012

डॉ. एबरहार्ड फाइत	अल्फ्रेड गॉल	डॉ. क्लॉस जेसेन	डॉ. अंसगर क्रविट	माइकल मोल्लेकेन
निर्देशक मंडल के महासदस्य	निर्देशक मंडल के सदस्य	निर्देशक मंडल के सदस्य	निर्देशक मंडल के सदस्य	निर्देशक मंडल के सदस्य
	एचआर और आइटी	उत्पाद आपूर्ति	क्षेत्र और बिक्री यूरोप	वित्त